

काद संख्या 184

सन् 2019

निर्णय दिनांक - 09.12.2019

ब्रह्म सिंह पुत्र देवी सिंह जाति जाट निवासी लाखलाण छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरु

- वादीगण

बनाम

1. ब्रह्म सिंह पुत्र देवी सिंह जाति जाट निवासी लाखलाण छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरु
2. रामकुमार पुत्र देवी सिंह जाति जाट निवासी लाखलाण छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरु
3. सुनाम चन्द्र पुत्र देवी सिंह जाति जाट निवासी लाखलाण छोटी तहसील राजगढ़ जिला चूरु
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरु
5. बैंक ऑफ बडौदा तारानगर जिला चुरू

- प्रतिवादीगण

वाद विभाजन कृषि भूमि अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम हर प्रकार के साक्ष्यों के आधार पर

स्थिति :-

श्री दिनेश शर्मा , विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादी

श्री संजय पुनियां, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी संख्या 4

निर्णय


इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.09.2019 की अनुपालना में तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरु ने मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव पेश किया जिस विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के बाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है -

उपस्थित अधिकारी

1. कि वादी प्रताप सिंह पुत्र देवी सिंह जाति जाट निवासी लाखलाण छोटी तहसील राजगढ़ जिला चुरू के हक हिस्सा में खसरा नम्बर 47 मीन में 1.63 हैक्टर बा0 तृतीय व 0.04 हैक्टर गैर मु0 रास्ता कुल 1.67 हैक्टर भूमि जो नक्शा विभाजन प्रस्ताव में निले रंग से दिखाई गई के अनुसार रहेगी।
2. कि प्रतिवादी जयसिंह पुत्र देवी सिंह जाति जाट निवासी लाखलाण छोटी तहसील राजगढ़ जिला चुरू के हिस्सा में खसरा नम्बर 47 मीन तादादी 1.63 हैक्टर भूमि वाके रोही लाखलाण छोटी तहसील राजगढ़ जिला चुरू नक्शा विभाजन प्रस्ताव में लाल से दर्शाए अनुसार रहेगी।
3. कि प्रतिवादी रामकुमार पुत्र देवी सिंह जाति जाट निवासी लाखलाण छोटी तहसील राजगढ़ जिला चुरू के हक हिस्सा में खसरा संख्या खसरा नम्बर 47 मीन तादादी 0.37 हैक्टर बा0 तृ0, खसरा नम्बर 114 मीन तादादी 0.65 हैक्टर बा0 तृतीय, खसरा नम्बर 114 मीन तादादी 0.63 हैक्टर बा0 तृ0 व खसरा नम्बर 114 मीन तादादी 0.11 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता कुल तादादी 1.76 हैक्टर की भूमि जिसे नक्शा विभाजन प्रस्ताव में सफदे रंग से दर्शाए अनुसार रहेगी।
4. कि सुभाष चन्द्र पुत्र देवी सिंह जाति जाट निवासी लाखलाण छोटी तहसील राजगढ़ जिला चुरू के हक हिस्सा में खसरा नम्बर 47 मीन तादादी 0.37 हैक्टर बा0 तृतीय, खसरा नम्बर 114 मीन तादादी 1.28 हैक्टर बा0 तृतीय कुल तादादी 1.65 हैक्टर की भूमि जिसे नक्शा विभाजन प्रस्ताव में हंरा रंग से दर्शाए अनुसार रहेगी। प्रतिवादी सुभाष चन्द्र का हिस्सा बैक आफ बडौदा शाखा तारानगर जिला चुरू के रहन रहेगा।

तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। मुद्रांक शुल्क अदा करने पर राजस्व रिकॉर्ड में तदनुरूप अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चुरू)